

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 जून 2011—ज्येष्ठ 23, शक 1933

उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 जून 2011

क्र. 1256-58-10-अड़तीस-3.—यतः महात्मा गांधी चित्रकूट, ग्रामोदय विश्वविद्यालय, चित्रकूट सतना के कार्यकलापों के कुप्रबंध के संबंध में, राज्य सरकार ने, महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय अधिनियम, 1991 (क्रमांक 9 सन् 1991) की धारा 44 क की उपधारा (1) के अनुसरण में, समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 14 जून, 2010 जारी की थी, जिसमें यह निदेशित किया गया था कि उक्त अधिनियम की उपधारा (2), (3), (4) तथा (5) के उपबंध उक्त विश्वविद्यालय को 14 जून, 2010 से लागू होंगे ;

अतएव उक्त अधिनियम की धारा 44 क की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, उक्त अधिसूचना के प्रवर्तन की कालावधि को नियत तारीख से और एक वर्ष की कालावधि तक के लिये बढ़ाती है.

No. 1256-58-10-XXXVIII-3.—WHEREAS due to mismanagement of affairs of Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya, Chitrakoot, Satna, the State Government, in pursuance of sub-section (1) of Section 44-A of the Mahatma Gandhi Chitrakoot Gramodaya Vishwavidyalaya Adhiniyam, 1991 (No. 9 of 1991), has issued a notification of even number dated 14th June, 2010, whereby directed that the provisions of sub-sections (2), (3), (4) and (5) of the said Act shall apply to the said University from 14th June, 2010;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 44-A of the said Act, the State Government, hereby, extends the period of operation of the said notification by further period of one year from the appointed date.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.